-:: इंटर्नशिप चयन हेतु विज्ञापन ::-

छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत इंटर्नशीप प्रेाग्राम के अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास आदि क्षेत्रों में कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को इंटर्न (संग्रहण, लाख, प्रसंस्करण, आई.टी., आयुर्वेद, मार्केटिंग एवं लैब एनालिस्ट) के रूप में चयन करने हेतु ऑनलाईन आवेदन **दिनांक 08.11.2021** से **23.11.2021** शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है । इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन होता है अथवा तिथि परिवर्तन या वरीयता सूची के आधार पर साक्षात्कार आदि हेतु सूचना केवल संघ की वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा ।

1. इंटर्नशीप विवरण -

1.1. लघु वनोपज प्रोक्योरमेंट / लाख / प्रसंस्करण / आई.टी./ आयुर्वेद / मार्केटिंग / लैब एनालिस्ट हेतु -

क	वृत्त का नाम	जिला यूनियन का नाम	वनधन केन्द्र की संख्या	रिक्त इंटर्न पद								कुल
				प्रोक्योरमेंट (संग्रहण/ भण्डारण)	लाख (पालन/ प्रसंस्करण)	प्रसंस्करण (प्रसंस्करण /गुणवत्ता नियंत्रण)	आई. टी.	आयुर्वेद	मार्केटिंग (बल्क/ रिटेल)	लैब एनालिस्ट		
										सामान्य	माइक्रो बीएल	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	कांकेर	कोंडागांव	5	0	0	1	0	0	0			**1**
2		पश्चिम भानुप्रतापपुर	4	1	0	0	0	0	0			**1**
3		केशकाल	5	1	0	0	0	0	0			**1**
4		पूर्व भानुप्रतापपुर	4	0	0	1	0	0	0			**1**
5		कांकेर	6	0	1	0	0	0	1	1		**3**
		योगः-	**24**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**7**
1	रायपुर	गरियाबन्द	4	0	1	1	0	0	0			**2**
2		बलौदाबाजार	4	0	0	0	0	0	1	1	1	**3**
		योगः-	**8**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	दुर्ग	खैरागढ़	3	0	0	1	0	0	0			**1**
2		कवर्धा	5	1	0	0	0	0	0			**1**
3		राजनांदगांव	5	0	0	0	0	0	1			**1**
4		बालोद	2	0	0	1	0	0	0			**1**
		योगः-	**15**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**
1		धरमजयगढ़	7	0	1	1	0	0	0			**2**
2		मरवाही	3	0	0	0	0	1	0			**1**
3	बिलासपुर	कोरबा	6	0	1	1	0	0	0			**2**
4		रायगढ़	3	0	0	1	0	0	0			**1**
5		बिलासपुर	4	0	0	0	0	0	1	1		**2**
6		कटघोरा	6	0	1	1	0	0	0			**2**
		योगः-	**29**	**0**	**3**	**4**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**10**
1		सूरजपुर	6	0	0	1	0	0	0			**1**
2		कोरिया	5	0	1	1	0	0	0			**2**
3	सरगुजा	बलरामपुर	7	0	0	1	0	0	0			**1**
4		सरगुजा	4	1	0	0	0	0	1	1		**3**
5		जशपुर नगर	4	0	0	0	0	1	0			**1**
		योगः-	**26**	**1**	**1**	**3**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**8**
1		जगदलपुर	10	0	0	0	0	1	1	1		**3**
2	जगदलपुर	सुकमा	5	1	0	1	0	0	0			**2**
3		दंतेवाड़ा	5	1	0	1	0	0	0			**2**
4		बीजापुर	4	1	0	1	0	0	0			**2**
		योगः-	**24**	**3**	**0**	**3**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**9**
1	संघ मुख्यालय	संघ मुख्यालय	0	2	2	2	1	1	2			**10**
		महायोगः-	**126**	**9**	**8**	**17**	**1**	**4**	**8**	**5**	**1**	**53**

निश्चित मासिक मानदेय के अतिरिक्त प्रदर्शन आधार पर इंसेन्टिव भी देय होगा ।

यह इंटर्नशीप प्रोग्राम पूर्ण कालिक प्रोग्राम है । चयनित इंटर्नस को इस कार्य हेतु पदस्थिति मुख्यालय में रहना अनिवार्य होगा । ऐसा नही करने पर इंटर्नशीप की अवधि समाप्त की जावेगी । इंटर्नशीप अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र भी प्रदाय किया जावेगा ।

शैक्षणिक योग्यता:-

1.	इंटर्न संग्रहण	बी.एस.सी.(कृषि/उद्यानिकी/फॉरेस्ट्री/ बायोलॉजी) स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
2.	इंटर्न लाख	बी.एस.सी.(कृषि/उद्यानिकी/फॉरेस्ट्री/बायोलॉजी) स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
3.	इंटर्न प्रसंस्करण	बी.ई./बी.टेक.(फूड टेक्नोलॉजी/मैकेनिकल) स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
4	इंटर्न आई.टी.	बी.ई./बी.टेक.(कम्प्यूटर साईंस / आई.टी.) स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
5	इंटर्न आयुर्वेद	बी.ए.एम.एस. स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण
6.	इंटर्न मार्केटिंग	बी.ई. / बी.टेक. (मेकेनिकल / इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग) के साथ एम. बी.ए., स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
7.	इंटर्न लैब एनालिस्ट	एम.एस.सी. बायोटेक/बी.टेक बायोटेक, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
8.	इंटर्न लैब एनालिस्ट (माइक्रोबिएल)	एम.एस.सी. मायक्रोबायलाजी न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।

1.2. कार्य दायित्व :-

1.2.1. **इंटर्न संग्रहण** - कार्यक्षेत्र वाले जिला यूनियनों के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं संघ द्वारा निर्धारित दर पर स्व सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपज क्रय करना तथा प्राथमिक प्रसंस्करण करना एवं लघु वनोपज आधारित विकास, उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है । इस कार्य करने से स्वयं लघु वनोपज आधारित उद्यमिता या लघु वनोपज आधारित कार्य करने में दक्षता मिलेगी ।

1.2.2. **इंटर्न लाख** - शासन द्वारा लाख पालन कार्य को बढ़ावा देने हेतु फसल ऋण एवं बीमा योजना स्वीकृत की गई है । स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन का कार्य किया जाना है, जिसमें किसानों का सर्वे कर ऋण प्रदान करने, किसानों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने, लाख पालन कार्य को बढ़ावा देने एवं ऋण वसूली तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में लाख क्रय एवं प्रसंस्करण कार्य को बढ़ावा दिया जाना है । इसके अतिरिक्त लाख हितग्राहियों को प्रशिक्षण एवं अन्य सहयोग भी प्रदान किया जाना है । आवश्यकतानुसार फसल बीमा संबंधी प्रकरणों के निपटारा का कार्य भी किया जाना होगा ।

1.2.3. **इंटर्न प्रसंस्करण** - वनधन विकास केन्द्र योजनांतर्गत हर्बल उत्पाद प्रसंस्करण हेतु स्थापित वनधन विकास केन्द्र के अंतर्गत लक्ष्य अनुरूप उच्च गुणवत्ता, उत्पाद निर्माण स्व सहायता समूहों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना । साथ ही हर्बल उत्पाद निर्माण हेतु लाईसेंस आदि प्राप्त करना तथा वनधन विकास केन्द्र के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित करने के साथ-साथ वनधन विकास केन्द्र के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण । वनधन विकास केन्द्र के व्यापार वृद्धि हेतु समस्त कार्य किया जाना होगा ।

1.2.4. **इंटर्न आई.टी.** - लघु वनोपज संग्रहण प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधी मानिटरिंग डाटा बेस तैयार करना, डाटा तैयारी एवं प्रेषित करने हेतु प्रपत्रों का निर्धारण, साफ्टवेयर संचालन एवं प्रशिक्षण, प्राप्त डाटाओं का संकलन, वेबसाईट संधारण आदि कार्य संपादित किया जाना है ।

1.2.5. **इंटर्न आयुर्वेद** - वनधन विकास केन्द्र योजनांतर्गत वनौषधि प्रसंस्करण हेतु स्थापित वनधन विकास केन्द्र के अंतर्गत लक्ष्य अनुरूप उच्च गुणवत्ता, उत्पाद निर्माण स्व सहायता समूहों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना । साथ ही वनौषधि उत्पाद निर्माण हेतु लाईसेंस, जी.एम.पी. आदि प्राप्त करना तथा वनधन विकास केन्द्र के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित करने के साथ-साथ वनधन विकास केन्द्र के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण । वनधन विकास केन्द्र के व्यापार वृद्धि हेतु समस्त कार्य किया जाना होगा ।

1.2.6. **इंटर्न विपणन** - संघ द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादों के संबंध में बाजार सर्वेक्षण स्व सहायता समूहों के माध्यम से शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद विपणन को बढ़ावा देना, लघु वनोपज एवं उत्पादों के लिए बाजार सर्वेक्षण कर क्रेताओं की जानकारी तैयार करना एवं वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत निर्मित उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना ।

1.2.7. **इंटर्न लैब एनालिस्ट (बायोटेक)** - संघ अंतर्गत वृत्त मुख्यालय में स्थापित (जनरल) लैब अंतर्गत निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कच्चे वनोपज/हर्बल उत्पादों का परीक्षण करना तथा रिपोर्ट तैयार कर संबंधित केन्द्र / संघ को सूचित करना ।

1.2.8. **इंटर्न लैब एनालिस्ट (माइक्रोबिएल)** - संघ अंतर्गत स्थापित लैब में लघु वनोपज/हर्बल उत्पादों के माइक्रोबिएल परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित केन्द्र/संघ को प्रेषित करना ।

2. समय सारणी :-

क्र.	विषय	रिक्तियां	तिथि	समय
1.	विज्ञापन जारी करने का दिनांक	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	30.10.2021	
2.	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	08.11.2021	प्रातः 11:00 बजे से
3.	ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	23.11.2021	शाम 5:00 बजे तक
4.	प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की तिथि	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	29.11.2021 से 04.12.2021 तक	शाम 5:00 बजे तक
5.	ऑनलाईन परीक्षा	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	05.12.2021	
6.	ऑनलाईन परीक्षा परीक्षा परिणाम घोषणा	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	13.12.2021	शाम 5:00 बजे से
7.	साक्षात्कार (वृत्त कार्यालय में)	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	20.12.2021 से 24.12.2021	
8.	अंतिम परिणाम घोषणा	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	28.12.2021	
9.	चयनित इंटर्न उपस्थिति अंतिम दिनांक	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	05.01.2022	
10.	चयनित इंटर्न के उपस्थिति न देने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में दर्शित अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के लिए सूचना	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	10.01.2022	
11.	चयनित इंटर्न के उपस्थिति न देने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में दर्शित अभ्यर्थियोंका उपस्थिति अंतिम दिनांक	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	17.01.2022	

3. आवेदन शुल्कः-

प्रत्येक विज्ञापित इंटर्न हेतु राशि रू. 350/- का आवेदन शुल्क ऑनलाईन माध्यम से आवेदन के समय भुगतान किया जाना है । यदि अभ्यर्थी एक जिले के दो या अधिक जिला यूनियन में कार्य करने का इच्छुक हो तो वह उस जिले के अन्य जिला यूनियन हेतु भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । अभ्यर्थी द्वारा किन-किन जिला यूनियन के लिए आवेदन किया जा रहा है । यह दर्शाया जाना होगा जिला यूनियनवार जिला यूनियन की सूची **परिशिष्ट-1** में संलग्न है । संघ मुख्यालय हेतु रायपुर जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी । यदि दो या अधिक जिला यूनियन के लिए आवेदन किया गया है तो वह पृथक पृथक आवेदन की तरह मान्य होगा ।

4. आयु सीमाः-

4.1. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकतम 5 वर्ष तक के अभ्यर्थी इंटर्न रिक्तियां हेतु आवेदन कर सकते हैं । परंतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 01.11.2021 की स्थिती में 30 वर्ष से ज्यादा न हो ।

5. निवासीः- छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी तथा बिन्दु 1.1 अनुसार उक्त जिले का मूल निवासी आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी । उपयुक्त अभ्यर्थी उक्त जिले से प्राप्त न होने की स्थिति में अन्य जिले के अभ्यर्थी को चयन पर विचार किया जायेगा ।

6. चयन प्रक्रिया-

6.1. **सामान्य निर्देश**-

6.1.1. प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी । अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षा / साक्षात्कार में बुलाने का यह तात्पर्य नही होगा की उनका चयन हो गया है ।

6.1.2. प्रत्येक रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम ऑनलाईन परीक्षा होगी ।

6.1.3. शैक्षणिक योग्यता एवं ऑनलाईन परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर प्रवीण्य सूची में प्रथम आये अभ्यर्थियों को प्रति रिक्तियां हेतु 10 अभ्यर्थियां के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा । यह साक्षात्कार वृत्त स्तर के चयन समिति द्वारा जिला यूनियन / वृत्त कार्यालय में किया जायेगा । संबंधित वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक द्वारा चयन समिति गठित किया जायेगा । चयन आदेश संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा जारी किया जायेगा ।

6.1.4. चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक वन वृत्त द्वारा चयन तथा प्रतिक्षा सूची जारी किया जावेगा। किसी जिले में चयन या प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित वृत्त के प्रतीक्षा सूची में से इच्छुक अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकता है ।

6.2. **चयन प्रक्रिया के तहत अंको का विभाजन**- चयन प्रक्रिया हेतु वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी -

विवरण	**इंटर्न (संग्रहण)/(लाख)/(प्रसंस्करण)/(आई.टी.)/(आयुर्वेद)/(मार्केटिंग)/(लैब एनालिस्ट)**
शैक्षणिक योग्यता	70
सामर्थ्य परीक्षण हेतु ऑनलाईन परीक्षा (AI आधारित)	20
साक्षात्कार	10
योगः-	**100**

सामर्थ्य परीक्षण हेतु ए.आई.आधारित ऑनलाईन परीक्षा हेतु अंक विभाजन निम्न प्रकार से किया जावेगा -

क्र.	पद का नाम	अंक विभाजन					
		सामर्थ्य परीक्षण		विषय संबंधी		कुल	
		प्रश्न संख्या	अंक	प्रश्न संख्या	अंक	प्रश्न संख्या	अंक
1.	इंटर्न संग्रहण	30	20	-	-	30	20
2.	इंटर्न लाख	30	20	-	-	30	20
3.	इंटर्न प्रसंस्करण	15	5	15	15	30	20
4.	इंटर्न आई.टी.	15	5	15	15	30	20
5.	इंटर्न आयुर्वेदा	15	5	15	15	30	20
6.	इंटर्न मार्केटिंग	30	20	-	-	30	20
7.	इंटर्न लैब एनालिस्ट	15	5	15	15	30	20

ऑनलाईन परीक्षा हेतु सिलेबस निम्नानुसार होगा-

- सामान्य प्रश्न के अंतर्गत दक्षता, मेहनती होने संबंधी, तार्किक एवं समय स्फूर्ती संबंध में प्रश्न पूछे जावेंगे ।
- विषय संबंधी प्रश्न के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता अनुसार प्रसंस्करण, उत्पाद तैयारी, औषधि तैयारी, लैब एनालिसिस आदि के संबंध में प्रश्न पूछे जायेंगे ।
- ऑनलाईन परीक्षा अभ्यर्थी की इच्छानुसार निर्धारित नजदीकी लोकसेवा केन्द्र अथवा स्वयं के व्यवस्था से किसी भी स्थान से परीक्षा में बैठ सकता है।

कम्बाईंड स्कोर में सर्वाधिक अंक पाने वाले वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा । चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा निर्देशों के लिये संघ के वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** का नियमित अवलोकन करते रहे ।

7. मूल दस्तावेज सत्यापन -

अंतिम साक्षात्कार पूर्व आवेदक को जिला यूनियन मुख्यालय स्तर पर समस्त दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा । आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेज में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक चयन हेतु पात्र होगा । गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण यदि चयन निरस्त की जाती है तो आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

7.1. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति ।

7.2. उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं हायर सेकेण्ड्री की अंक सूची की मूल प्रति एवं छाया प्रति ।

7.3. छत्तीसगढ़ / संबंधित जिला का मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति ।

7.4. फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, पैन कार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड) ।

7.5. अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति ।

8. सामान्य दिशा निर्देशः-

8.1. संभावित रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है ।

8.2. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आन लाईन आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।

8.3. इंटर्न चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जानकारी संघ की वेबसाइड **www.cgmfpfed.org** पर उपलब्ध कराई जाएगी । इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक **www.cgmfpfed.org** का निरंतर अवलोकन करते रहें ।

8.4. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवेदन पत्र भरे । चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी ।

8.5. विज्ञापन में तथ्यात्मक / लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** में प्रकाशित होगी । ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी । इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा ।

8.6. चयन के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

8.7. इंटर्नशीप की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी । इंटर्न की नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई रहेगी ।

8.8. जिला के विरूद्ध दर्शित रिक्तियों में चयनित आवेदक उसी जिला यूनियन के अंतर्गत कार्य करेंगे ।

8.9. चयनित आवेदकों को छत्तीसगढ़ के वनवासियों के आजीविका के लिये कार्य करना है । इस हेतु आवेदक को जिला यूनियन व दूरस्थ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण राज्य में किसी भी स्थान पर चयनकर्ता अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण किया जाना होगा । क्षेत्र भ्रमण दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भी किया जाना होगा । आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर भी प्रवास पर जाना होगा। तदानुसार इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन प्रस्तुत करें ।

8.10. इंटर्नशीप के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का मानदेय अथवा एक माह का नोटिस देकर इंटर्नशीप समाप्त की जा सकती है ।

8.11. चयन हेतु आवेदक की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक को होगा ।

8.12. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर दंडित किया गया हो वह चयन हेतु पात्र नही होगा ।

8.13. किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है, तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात किसी भी समय उसकी इंटर्नशीप निरस्त की जा सकती है ।

8.14. प्रदर्शन के आधार पर देय इंसेन्टिव दर, प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अधिकृत अधिकारी का ही होगा । इंटर्न इसमें किसी भी प्रकार का दावा नही कर सकते ।

8.15. यह इंटर्नशीप छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ में किसी भी प्रकार के नौकरी या नियुक्ति का आश्वासन नही करता ।

8.16. चयनित इंटर्न द्वारा यदि दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास के लिए असहमति दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी इंटर्नशिप समाप्ति की जावेगी ।

अपर प्रबंध संचालक (विकास)
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर